प्रशान्त कुमार,
आई०पी०एस०

डीजी परिपत्र सं0 - 16 /2025

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002
दिनांकःमई,17/5 2025

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सहमत होंगे कि पुलिस कार्मिकों द्वारा उच्च स्तर का अनुशासन बनाये रखते हुये सत्यनिष्ठा से दायित्वों का निर्वहन करने से उत्तर प्रदेश पुलिस बल की छवि में गुणोत्तर सुधार किया जा सकता है। पूर्व में जनपदीय पुलिस अधीक्षकों/सेनानायकों के पर्यवेक्षण, टर्न-आउट व कार्य प्रणाली तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वार किये जाने वाले निरीक्षणो के संबंध में यथासमय निर्गत निर्देशों के अतिरिक्त क्रमशः परिपत्र सं0 23/1991, 26/1994, 47/2000 व 41/2022 भी निर्गत किये गये हैं। दिनांक 29.04.2025 को प्रमुख सचिव गृह, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रशासन शाखा से संबंधित कार्यों की समीक्षा में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा परेड में भाग नही लिया जा रहा है जिससे उनके स्वास्थ्य/अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। इन निर्देशों के अनुक्रम में अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो रही है।

2. जनपद के पुलिस अधीक्षकों/सेनानायकों, अन्य सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य के प्रति उच्च स्तर की जागरूकता व समर्पण बनाये रखा जाये। अनुशासनहीनता के प्रकरणों में कठोर कार्यवाही की जाये। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य समुचित समन्वय के अभाव के कारण ही अनुशासनहीनता की घटनाएं हो रही हैं। इसके लिये आवश्यक है कि वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए गम्भीर चिन्तन करें तथा कार्मिकों के सुख-दुख में शामिल होकर उनके कल्याण के लिये हमेशा जागरूक व संवेदनशील बने रहें। अपने कार्य व आचरण से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

3. इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, गृह उ0प्र शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपदीय/ अजनपदीय शाखाओं में नियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति के जनपद/शाखा में प्रत्येक शुक्रवार को होने वाली परेड में सम्मिलित किये जाने एवं उनकी शत प्रतिशत उपस्थिति स्थल पर बायोमैट्रिक्स उपस्थिति कराये जाने के सम्बन्ध में परिपत्र निर्गत कराया जाय।

----2

4. उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को होने वाली परेड में अधिकारी प्रत्येक दशा में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। जनपदों/वाहिनियों की पुलिस लाइन में परेड, भ्रमण एवं निरीक्षण के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर भी कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है :-

(1) परेड:-

अवकाश, भ्रमण, ड्यूटी व अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर प्रभारी पुलिस अधीक्षकों/ सेनानायकों व अन्य सभी अधिकारियों द्वारा शुक्रवार तथा अपर पुलिस अधीक्षक/उप सेनानायकों द्वारा मंगलवार की परेड में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जायेगा। पुलिस लाइन्स में आयोजित होने वाली परेडों में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। विभिन्न कार्यालयों व पेशियों में नियुक्त कर्मियों को भी शुक्रवार की परेड में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये। पुलिस बल में शारीरिक दक्षता बनाये रखने के लिये ए०ई०आर०/सी०ई०आर० में कार्मिकों को समय पर बुलाकर उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाये।

2. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न दिवस में आयोजित होने वाली परेड में अन्य अधिकारी /कार्मिक साथ प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारी अवश्य शामिल हों।

(2) निरीक्षण:-

परेड के उपरान्त शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक/ सेनानायक द्वारा पुलिस लाइन/ वाहिनी प्रांगण में भ्रमण कर साफ-सफाई, परेड ग्राउण्ड, क्वार्टर गार्द, आर्मरी, बैरेक, स्टोर, मेस, कैन्टीन, अस्पताल, कल्याण केन्द्र, परिवहन शाखा, सड़क, बिजली, पानी, स्नान गृह, शौचालय, स्कूल, मनोरंजन गृह, अग्निशमन केन्द्र, नियंत्रण कक्ष, आवासीय व्यवस्था आदि सभी शाखाओं का बहुत ही सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाय। निरीक्षण के दौरान दृष्टिगोचर होने वाली समस्याओं का निराकरण भी शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय। इस प्रकार के निरीक्षण आकस्मिक रूप से भी किया जाय। इसका एक स्थायी रजिस्टर बनाया जाय, जिसमें शाखावार निरीक्षण का पूर्ण विवरण अंकित किया जाय। मंगलवार को इसी प्रकार निरीक्षण अपर पुलिस अधीक्षक/उप सेनानायक द्वारा किया जायेगा।

(क) आरमरी/मैगजीन

प्रायः कारतूसों की चोरी होने, कानून-व्यवस्था ड्यूटियों में फायरिंग के दौरान फायर न होने, शस्त्र के सही प्रकार से कार्य न करने की घटनाएं संज्ञान में आती हैं। अतः विशेष ध्यान देकर शस्त्रों की नियमित

----3

सफाई व मरम्मत कार्य सुनिश्चित कराया जाय। शस्त्र, कारतूसों आदि का नियमित रूप से भौतिक सत्यापन परम आवश्यक है, अतः क्षेत्राधिकारी लाइन्स/सहायक सेनानायकों द्वारा अनिवार्य रूप से माह में एक बार तथा पुलिस अधीक्षक/सेनानायकों द्वारा तीन माह में एक बार भौतिक सत्यापन किया जाय। हेड आर्मोरर/आर्मोरर के पूर्व इतिहास की जानकारी अवश्य रखी जाय और किसी भी दशा में संदिग्ध आचरण वाले हेड आर्मोरर/आर्मोरर की नियुक्ति न की जाय । निरीक्षण के दौरान यदि कोई शस्त्र खराब अथवा निष्प्रयोज्य दशा में पाया जाय तो दोषी कर्मी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

(ख) बैरिकों का रख-रखाव

बैरिकों में अपने परिवार से अलग रहकर भारी संख्या में पुलिसजन रहते हैं। कठिन ड्यूटी के उपरान्त उनके विश्राम स्थल का निरीक्षण अत्यन्त सूक्ष्मता से किया जाय। बैरिकों में रहने वाले कर्मियों के लिये शौचालय, बिजली, पानी, खान-पान सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिये। इसमें पायी जाने वाली कमियों का तत्काल निराकरण कराकर उच्च स्तर की साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(ग) लाइन्स का भ्रमण

परेड के बाद लाइन्स का भ्रमण किया जाय। इस दौरान पुलिस लाइन्स का ड्यूटी रजिस्टर भी ध्यानपूर्वक चेक करते हुये देखा जाय कि ड्यूटियों में पारिदर्शिता अपनायी गयी है या नहीं। पक्षपातपूर्ण ड्यूटियां लगायें जाने से पुलिस कर्मियों में रोष व कुठां व्याप्त हो जाती है। इसका प्रभाव राजकीय कार्य पर पड़ता है। भोजनालयों का निरीक्षण भी बहुत सूक्ष्मता से किया जाय । बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, भोजन की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिये।

(3) आदेश कक्षः-

प्रायः यह देखा गया है कि अनुशानहीनता के गम्भीर प्रकरणो के निस्तारण में विलम्ब होने के कारण अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। कुछ निर्दोष कर्मियों के प्रकरण लम्बित रहने पर उनमें कुंठा का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसका प्रभाव राजकीय कार्यों पर पड़ता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक शुक्रवार को प्रभारी पुलिस अधीक्षक सेनानायक नियमित रूप से अर्दली रूम अवश्य करें और ऐसे प्रकरणो पर शीघ्रता से निष्पक्ष व न्यायपूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करें।

----4

(4) सम्मेलनः-

प्रभारी पुलिस अधीक्षकों/सेनानायकों द्वारा माह में एक बार एवं परिक्षेत्र/सेक्टर स्तर पर तीन माह में एक बार पुलिस कर्मचारियों का सम्मेलन अवश्य किया जाय। इसकी व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि जनपद/इकाई में कार्यरत जिस कर्मी की कोई समस्या हो उसे सम्मेलन में शामिल होने का अवसर भी मिल जाय। सम्मेलन के दौरान कर्मचारियों को अपनी समस्यायें निसंकोच रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदानकिया जाय। सम्मेलन में प्राप्त होने वाली समस्याओं का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। इस प्रकार की कार्यवाही हेतु एक स्थायी रजिस्टर बनाया जाय, जिसमें इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाय। सम्मेलन के दौरान कर्मचारियों को विभागीय नीतियों से भी अवगत कराया जाये। मैं अपेक्षा करूंगा कि पत्र में अंकित किये गये सभी बिन्दुओं पर एक विस्तृत कार्ययोजना बनाकर व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। परिक्षेत्र/सेक्टर के उप महानिरीक्षक व जोन के अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निरीक्षण के दौरान इस दिशा में की गयी कार्यवाही की समीक्षा कर लें। सभी पुलिस आयुक्तों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कमिश्नरेट में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय

17.5.25

(प्रशान्त कुमार)

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
समस्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट उ०प्र०।
समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी/रेलवे उ०प्र०।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र/पीएसी सेक्टर/रेलवे, उ०प्र०।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक, जनपद/रेलवे/पीएसी वाहिनी, उ०प्र०।